18वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

Notice of 18th Annual General Meeting

18वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (**''बैंक''**) शेयरधारकों की **18वीं (अठारहवीं) वार्षिक साधारण बैठक** (**''एजीएम''**) **मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, 2020 को प्रात: 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थान) पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार:

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2020 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की स्टैंडअलोन एवं समेकित लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

विशेष कारोबार:

मद क्र. 2

31 मार्च, 2020 तक बैंक की संचित हानि का समंजन करना.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित/रहित निम्नलिखित विशेष संकल्पों को पारित करना.

''संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 (**''अधिनियम''**) की धारा 3(2बीबीए), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (**''बीआर अधिनियम''**) की धारा 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुच्छेद 21, यथा संशोधित, किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और प्रदान की जाती है कि बैंक की 31 मार्च, 2020 को ₹32758,49,47,263.10 (बत्तीस हज़ार सात सौ अठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मात्र) की संचित हानि का समंजन बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में समंजन की तारीख को शेष राशि के प्रयोग से कर लिया जाए तथा इसका लेखांकन वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में कर लिया जाए.

''**पुन: संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड या कथित उद्देश्य के लिए बोर्ड की समिति द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से आवश्यक या वांछनीय समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया जाये एवं एतद्वारा अधिकृत किया जाता है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Mangesh Mandrekar

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 जुलाई, 2020

(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

नोट्स:

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

   बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 2 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक का संचालन**

   ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए परिपत्र'') द्वारा जारी साधारण परिपत्र क्र.14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 क्रमश: दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 5 मई 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी परिपत्र'') द्वारा जारी परिपत्र क्र.सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) अधिनियमन, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक साधारण बैठक के लिए अभिप्रेत स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. मद क्र. 02 में वर्णित विशेष कारोबार जो अपरिहार्य है, को बैंक की 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में कार्यान्वित किया जाए.

   बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

सी) केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी.

डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्र के अनुसार, वार्षिक साधारण बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

ई) चूंकि वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस लिए रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगा, जैसा कि सचिनीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है.

एफ़) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक साधारण बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक साधारण बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने के लिए विंडो बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकता है. वीसी/ओवीएएम में जुड़ने के लिए सूचना पैरा क्र. 14(vii)(ए), (बी) एवं (सी) में वर्णित विवरणों के साथ https://emeetings.kfintech.com पर विजिट करें. बैठक के पूर्व अथवा बैठक के दौरान तकनिकी सहायता के लिये 1800 345 4001 नंबर पर कौल करे.

जी) सदस्यगण नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों के सहभागिता की अनुमति होगी. बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त की बाधा के बिना वार्षिक साधारण बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 18वीं वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक साधारण बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

आई) चूंकि वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त की जा रही है और एमसीए परिपत्रों के अनुरुप बैंक द्वारा किसी भी परोक्षी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जे) वार्षिक साधारण बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम 2 अगस्त, 2020 को 5 बजे तक किया जा सकता है. स्पीकर के रुप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक साधारण बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक समय की उपलब्धता के अनुसार स्पीकर सत्र को समाप्त कर या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा क्र. 12 के अनुसार अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल एड्रैस से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फॉलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.com भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा. तथापि, यह अनुरोध किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रुप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंक: https://ris.kfintech.com/email_registration में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं.

एल) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कटऑफ तिथि बुधवार, 29 जुलाई, 2020 से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रैस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपाजिटरी द्वारा प्रदान ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड का अद्यतन करेंगे.

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अत: परोक्षी के नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्नुसार, वार्षिक साधारण बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70 (vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी के नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई

जाएगी. इस कारण, परोक्षी के नियुक्ति के संबंध में फार्म एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक साधारण बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को investorservices@unionbankofindia.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार, 30 जुलाई 2020 को कार्य-समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

5. बुक क्लोजर

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2020 से मंगलवार दिनांक 4 अगस्त, 2020** तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा.

6. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त ''अदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 तक के अदत्त लाभांश को आईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वर्ष 2012-13 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक :https ://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx का अवलोकन कर सकते हैं. अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं.

7. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैंडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डिपाजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रानिक रुप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (''डीपी'') के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रानिक रुप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है. ऐसे परिवर्तनों से शेयरधारक के डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को अवगत कराया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड,
यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
दूरभाष संख्या.: 022-66712001-6

सी) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की बेवसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रानिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

ई) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक/ डीमेट रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रुप से उल्लेख करें.

8. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशंस लि. को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

9. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कोविड-19 महामारी और लॉक डाउन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की भौतिक प्रतियाँ प्रेषित नहीं की जाएगी और यह केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी बैंक या डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है. बैंक की वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंज पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी. ई-मेल आईडी अद्यतन के लिए शेयरधारक भौतिक शेयरों के मामले में रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को या शेयर डिमेट फॉर्म में है तो डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट को संपर्क करें.

10. ई-वोटिंग हेतु कट ऑफ तारीख

संशोधित कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 के अनुसार, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने का अधिकार **बुधवार, 29 जुलाई, 2020** से माना जाएगा.

11. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख अर्थात **बुधवार, 29 जुलाई,** 2020 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

12. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को ई-मेल investorservices@unionbankofindia.com, को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से नवीनतम 2 अगस्त, 2020 को सायं 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे. कृपया यह ध्यान रखें कि सदस्यों के प्रश्नों के जवाब केवल तब ही दिया जाएगा यदि वे कट-ऑफ तिथि अर्थात 29 जुलाई, 2020 तक शेयर धारिता को जारी रखते हैं.

इसके अलावा, कट-ऑफ तिथि को शेयर रखने वाले शेयरधारक https://emeetings.kfintech.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और संबंधित आपतियाँ/मत/प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए ''post your queries here'' पर क्लिक कर सकते है. ई-मतदान अवधि के दौरान विंडो को सक्रिय किया जाएगा और 2 अगस्त, 2020 को शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा.

13. भौतिक धारण का अमूर्तीकरण

सेबी ने प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक भागीदार को स्थायी खाता संख्या (पैन) एवं बैंक विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है. सदस्य जो इलेक्ट्रोनिक रूप से शेयर रखते है उनसे अनुरोध है कि वह अपना पैन का विवरण अपने डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट को दें. भौतिक रूप से शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को अपना पैन का विवरण प्रस्तुत करें. सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप से केवल अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है. भौतिक रूप से शेयर्स को रखने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि अपने रखे हुए भौतिक शेयरों से संबंद्ध सभी जोखिमों को दूर करने के लिए अमूर्तीकरण रूप में बदलने पर विचार किया जाए और पोर्टफोलियों प्रबंधन की सुविधा के लिए वे अपने डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट से संपर्क करें, जहां वे डीमैट खाते को संचालित करते है.

14. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

I. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (''आईसीएसआई'') द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवीय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्र के साथ लिस्टिंग विनियम के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक साधारण बैठक में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक साधारण बैठक में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.

II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में भी रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

III. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.

IV. वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार दिनांक **1 अगस्त, 2020 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर सोमवार, दिनांक 3 अगस्त 2020 (संध्या 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए **कट ऑफ तारीख बुधवार, 29 जुलाई 2020** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

VI. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक साधारण बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बनता है एवं **कटऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 29 जुलाई, 2020** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.com पर शेयरधारिता के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक को evoting@kfintech.com पर रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात 3 अगस्त, 2020 सायं 5.00 बजे तक लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं

VII. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

ए) इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रैस बार में https://evoting.karvy.com यूआरएल टाइप करें.

बी) आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लाईंट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

सी) उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

डी) आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नया पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,$,आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें की आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

ई) आपको नए विवरण के साथ पुन: लॉगिन करना पड़ेगा.

एफ़) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.

जी) वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास जितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR' / 'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

एच) ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

आई) उचित विकल्प का चयन कर आप अपना वोट दें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि के लिए 'OK' बटन पर क्लिक करें, अन्यथा आशोधन के लिए 'CANCEL' बटन पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि कर देने पर, इसके बाद आपको अपने वोट में किसी प्रकार के आशोधन की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान, आपने संकल्प के लिए वोट किया है कि पुष्टि करने तक आप अनेकों बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे) कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ़/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो info@jmja.in ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, की अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी

इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVENT No 5364' के प्रारूप में रखें.

VIII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, https:/ /evoting.karvy.com पर उपलबध ''अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न'' (FAQs) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 345 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.

IX. इलेक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेंजे या 1800 345 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

X. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात बुधवार, 29 जुलाई, 2020 को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

XI. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.

XII. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.

XIII. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और परदर्शी बनाने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव, मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, को जांचकर्ता के रुप में नियुक्त किया गया है.

XIV. वार्षिक साधारण बैठक शुरु होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XV. संवीक्षक द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

15. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक साधारण बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट: https://evoting.karvy.com उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

16. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के लिए मेसर्स जेएमजेए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में एक शेयरधारक के साथ ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रुप में कार्य करेगें.

17. बैठक का परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्याधीन संकल्प को पारित माना जाएगा.

18. रिकॉर्डडेड ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक साधारण बैठक के रिकॉर्डडेड ट्रांस्क्रिप्ट को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्र. 2: दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बैंक के संचित हानियों का समंजन

केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2020 द्वारा जारी आंधा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलन की योजना, 2020 के अध्यधीन आंधा बैंक एवं कॉर्पोरेशन बैंक का 1 अप्रैल, 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित किया गया है. समामेलन को करने का उद्देश्य बदलते परिवेश में अधिक सक्षम एवं बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निर्माण करना एवं बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और कारोबार वृद्धि में परिचालन क्षमता को प्राप्त करना है.

उपर्युक्त को देखते हुए, यह माना जाए कि समामेलित संस्था ने वित्तीय स्थिति पर स्पष्ट एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ नए मार्ग की और अग्रसित होंगे एवं इसकारण बैंक का प्रस्ताव है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को संचित हानियों की राशि ₹32758,49,47,263.10 (बत्तीस हज़ार सात सौ अठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मात्र) की संचित हानि का समंजन बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में समंजन की

तारीख को शेष राशि के प्रयोग से कर लिया जाए तथा इसका लेखांकन वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में कर लिया जाए.

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समामेलित संस्था की संचित हानियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पूर्व -कार्पोरेशन बैंक	पूर्व -आंध्रा बैंक	कुल
शेयर प्रीमियम	25,226.18	16,081.95	8,798.74	50,106.86
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-11,672.67	-13,122.45	-7,963.37	-32,758.49
निवल शेयर प्रीमियम	13,553.50	2,959.50	835.37	17,348.37

शेयर प्रीमियम की उपरोक्त प्रस्तावित कमी को यदि अनुमोदित कर लेखांकन किया जाता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को संचित हानियों की राशि ₹32758,49,47,263.10 (बत्तीस हज़ार सात सौ अठावन करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हज़ार दो सौ तिरसठ रुपये दस पैसे मात्र) तदनुसार कम हो जाएगी.

इस प्रस्तावित समंजन से बैंक की वित्तीय स्थिति का सही रूप प्रदर्शित होगा और विभिन्न अनुपातों यथा प्रति शेयर बही मूल्य, रिटर्न ऑन ईक्विटी, प्रति शेयर आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा.

इस समंजन से वितरणीय संचयों को बेहतर करने में बैंक को मदद मिलेगी. इससे बैंक अपनी सही आर्थिक स्थिति को भी प्रदर्शित कर सकेगा जो शेयर धारकों को भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि उनके धारण पर बेहतर मूल्य मिलेगा और शेयर धारकों को उचित समय पर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के साथ-साथ अन्य हितों की संभावनाओं का पता लगाने में भी मदद मिलेगी. इस प्रस्ताव से अपने परिवर्तन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में बैंक बेहतर स्थिति में होगा.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 21 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) में संदर्भित चुकता पूंजी को कम करने के लिए शेयर प्रीमियम की किसी भी राशि का समंजन कर सकता है. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3(2बीबीए) के अनुसार, समय-समय पर, वोट करने योग्य अंशधारियों की वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोटिंग और या जहां परोक्षी की अनुमति हो तो, परोक्षी के द्वारा पारित संकल्प, जो विरोध में दिये गए वोटों का कम से कम तीन गुना हो, से सार्वजनिक निर्गम या राइट्स निर्गम या बोनस शेयर जारी करने या अधिमान्य आबंटन या निजी आबंटन से चुकता पूंजी को कम किया जा सकता है.

चूंकि शेयर प्रीमियम खाते की राशि का प्रस्तावित प्रयोग संचित बैंक की हानियों के समंजन के लिए किया जाएगा और जिसे पूंजी में कमी मानी जाएगी, इसलिए बैंक के शेयर धारकों से विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन का अनुरोध है.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) में प्रावधान है कि जहां बैंक शेयर प्रीमियम और राजस्व आरक्षित खाते में किसी राशि या राशियों का विनियोजन करता है, तो यह ऐसी विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर, रिजर्व बैंक को तथ्य की रिपोर्टिंग करेगा जिसमें ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख रहेगा. निर्धारित समय अवधि के दौरान बैंक इन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा.

शेयर प्रीमियम खाते की कमी जिसमें लाभ एवं हानि खाते में डेबिट शेष का समंजन शामिल है, शेयर प्रीमियम खाते के क्रेडिट को कम करने से बैंक का अपने शेयरधारकों के किसी भी प्रतिफल से उन्मोचन नहीं माना जाता है. तद्नुसार, बैंक की इक्विटि पूंजी संरचना और शेयर प्रीमियम में हुई कमी के फलस्वरूप शेयरधारिता पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

क्र. सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पहले		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के बाद	
		धारित इक्विटि शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटि शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
1.	प्रमॉटर का होल्डिंग भारत सरकार	5,70,66,60,850	89.07	5,70,66,60,850	89.07
2.	गैर-प्रमॉटर होल्डिंग सार्वजनिक	70,01,83,505	10.93	70,01,83,505	10.93
	कुल	**6,40,68,44,355**	**100.00**	**6,40,68,44,355**	**100.00**

विशेष संकल्प के संदर्भ में बैंक की संचित हानि का प्रस्तावित समंजन सभी लागू विधियों के प्रावधान के अनुरूप रहेगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और रिश्तेदारों में से किसी को भी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर उपरोक्त प्रस्तावों में हितबद्ध या उससे संबंधित नहीं माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Mangesh Mandrekar

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 जुलाई, 2020

(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

NOTICE OF 18th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **18th (Eighteenth) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India **("Bank")** will be held on **Tuesday, 4th August, 2020 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business::

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2020,** Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:

Item No. 2

To set off the accumulated losses of the Bank as of 31st March, 2020.

To consider and if thought fit, pass with or without modifications, the following resolution as a special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 **("Act")**, Section 17(2) of the Banking Regulation Act, 1949 **("BR Act")**, Para 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two Hundred Sixty Three and Ten Paise only) as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard."

By order of the Board of Directors

For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : 4th July, 2020

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda no. 2 of the meeting is annexed hereto.

2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

   a) In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the item no. 02 being unavoidable, be transacted at the 18th AGM of the Bank.

   b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The

Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.

c) Kfin Technologies Private Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

d) In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at https://emeetings.kfintech.com.

e) As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.

f) Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VC/OAVM please visit https://emeetings.kfintech.com with the credentials as mentioned in the notice para no. 14(vii)(a), (b) & (c). The helpline toll free no. 1800 345 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.

g) Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the AGM through VC/OAVM Facility.

h) Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

i) Since the AGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.

j) Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by 5 PM on 2nd August, 2020. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit https://emeetings.kfintech.com by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session considering availability of time; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 12 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.com. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.

k) The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink : https://ris.kfintech.com/email_registration.

l) Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent M/s Datamatics Business Solutions Limited before the cut-off date Wednesday, 29th July, 2020., in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding share shall update their records at the earliest to send the Notice and Annual report

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the investorservices@unionbankofindia.com, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Thursday, 30th July, 2020.

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed **from Wednesday, 29th July, 2020 to Tuesday, 4th August, 2020** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2011-12 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2012-13, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) at the following address:

Datamatics Business Solutions Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093.
Tel. No.: 022 – 66712001-6

c) The format for providing Bank account details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in

d) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

8. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

9. COPIES OF ANNUAL REPORT

Considering COVID-19 pandemic and lock down restrictions, copies of the Annual Report 2019-20 in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the stock exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

10. CUT OFF DATE FOR E-VOTING

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of agenda items no. 1 & 2 shall be reckoned as on **Wednesday, 29th July, 2020.**

11. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Wednesday, 29th July, 2020** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible vote.

12. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested to write to the Bank by email at investorservices@unionbankofindia.com, which should reach the Bank before the date of the AGM latest by 5 PM on 2nd August, 2020 so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only during the AGM. Please note that members questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. 29th July, 2020.

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit https://emeetings.kfintech.com and click on "post your queries here" to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by 5 pm on 2nd August, 2020.

13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI has mandated submission of permanent account number (PAN) and bank details by every participant in the securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN details to their Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Bank's RTA. Securities of listed entities would be transferred in dematerialised form only, effective from 1st April, 2019. In view of the same members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

14. Business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means:

I. Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI

Circular, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.

II. The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.

V. The remote e-voting period commences on **Saturday, 1st August, 2020 (9:00 am IST) and ends on Monday, 3rd August, 2020 (5:00 pm IST).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off Date of Wednesday, 29th July, 2020** may cast their vote by remote e-voting for agenda item no. 1 & 2. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VI. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on **cut-off date i.e. Wednesday, 29th July, 2020**, may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at investorservices@unionbankofindia.com, along with authentic proof of shareholder or to write to KFintech at evoting@kfintech.com sufficiently before closing of the remote e-voting i.e. before 5.00 pm on 3rd August, 2020.

VII. The process and the manner for remote e-voting are as under:

(a) Launch internet browser and type the URL: https://evoting.karvy.com in the address bar.

(b) Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.

(c) After entering the details appropriately, click on LOGIN.

(d) You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(e) You need to login again with the new credentials.

(f) On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.

(g) On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

(h) Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.

(i) Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

(j) Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are

required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at info@jmja.in and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVENT No. 5364'

VIII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://evoting.karvy.com under help section or call on 1800 345 4001 (toll free).

IX. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFintech or send an email to evoting@kfintech.com or call 1800 345 4001 (Toll Free).

X. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, 29th July, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.

XI. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of KFintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

XII. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

XIII. M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XIV. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him in writing.

15. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of KFintech i.e. https://evoting.karvy.com. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

16. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, M/s JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1 & 2. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting to be conducted during the Meeting.

17. OUTCOME OF THE MEETING

The resolutions shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

18. RECORDED TRANSCRIPT

Recorded transcript of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 2: Set Off the Accumulated Losses of the Bank as of 31st March, 2020

Pursuant to the Amalgamation of Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 issued by Central Government vide gazette notification dated March 4, 2020, Andhra Bank and Corporation Bank have been amalgamated into Union Bank of India w.e.f. 1st April, 2020. Amalgamation was done to create more efficient and bigger public sector bank in the changing environment to meet the credit needs of a growing economy and to achieve operational efficiency by scale of business.

In view of the aforesaid, it deems fit that the amalgamated entity shall begin on its new path with a true and fair view of its financial position and thus, the Bank proposes to set off the accumulated losses of Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two

Hundred Sixty Three and Ten Paise only)as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2020-21.

Breakup of Accumulated losses of the Amalgamated Entity as on 31st March, 2020 is as under:

(Rs. in crores)

Particulars	Union Bank of India	E-Corporation Bank	E-Andhra Bank	Total
Share Premium	25,226.18	16,081.95	8,798.74	50,106.86
Debit Balance of P&L Account	-11,672.67	-13,122.45	-7,963.37	-32,758.49
Net Share Premium	13,553.50	2,959.50	835.37	17,348.37

The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, whichas on 31st March, 2020 stood at Rs.32758,49,47,263.10 (Rupees Thirty Two Thousand Seven Hundred Fifty Eight Crores Forty Nine Lacs Forty Seven Thousand Two Hundred Sixty Three and Ten Paise only)will accordingly stand reduced.

The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book value per share, Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS).

The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.

In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3(2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or rights issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement, by resolution passed at an annual general meeting of the shareholders entitled to vote, voting in person, or, where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of the votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paid-up capital in any way.

As the proposed utilization of Share Premium Account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought.

Section 17(2) of the Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium or Revenue Reserve Account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

The reduction of Share Premium Account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium Account will remain unchanged.

Sr. No	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding	Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding
1.	Promoter's Holding Government of India	5,70,66,60,850	89.07	5,70,66,60,850	89.07
2.	Non-Promoter Holding: Public	70,01,83,505	10.93	70,01,83,505	10.93
	Total	**6,40,68,44,355**	**100.00**	**6,40,68,44,355**	**100.00**

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 4th July, 2020